

2

महाशिवरात्रि पर निकली भव्य बारात, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

श्रद्धा, उत्साह और भक्ति के संगम में डूबा शहर, देर रात तक चला जलाभिषेक और पूजा-अर्चना का दौर

शहडोल | संवाददाता

राष्ट्रबाण | rashtabaan.in

जिलेभर में महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष अभूतपूर्व उत्साह और आस्था के साथ मनाया गया। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हाथों में पूजन सामग्री और हर-हर महादेव के जयकारों के साथ भक्तों ने भगवान भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिरों को रंग-बिरंगी रोशनी, फूल-मालाओं और आकर्षक सजावट से सजाया गया था। दिनभर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और भजन-कीर्तन का सिलसिला चलता रहा। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने व्रत रखकर श्रद्धा से पूजा-अर्चना की। कई स्थानों पर धार्मिक आयोजनों और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई।

शाम होते ही निकली शिव बारात

महाशिवरात्रि की संध्या पर शहर का माहौल और भी उल्लासमय हो उठा। मुख्य मार्गों से भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई, जिसमें शिव-पावती, गणेश और अन्य देवी-देवताओं की आकर्षक



जगह-जगह हुआ भंडारा, सेवा भाव की दिखी मिसाल

महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के विभिन्न चौक-चौराहों और मंदिरों के पास सामाजिक संगठनों, व्यापारी संघों और श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। भक्तों को खिचड़ी, फलाहार, मिठाई और शीतल पेय का वितरण किया गया। देर रात तक श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते रहे। सेवा कार्य में युवाओं और महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे सामाजिक एकता और सहयोग की भावना भी देखने को मिली।

झाकियां शामिल रहीं। सजे-धजे रथों और बैंड-बाजों के साथ निकली इस बारात में बड़ी संख्या



प्रशासन रहा मुस्तैद

पर्व को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की गई थी। प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा और यातायात को सुव्यवस्थित किया गया। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए निगरानी रखी गई। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शहडोल पूरी तरह शिवमय नजर आया। श्रद्धा और उत्साह के संगम ने पर्व को यादगार बना दिया।

में जगह-जगह पुष्पवर्षा की गई। व्यापारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने जलपान एवं प्रसाद

वितरण के स्टॉल लगाए। पूरा शहर देर रात तक भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा।

वन कर्मियों से मारपीट व शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

शहडोल | संवाददाता

राष्ट्रबाण | rashtabaan.in

वन विभाग के कर्मचारियों से मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में सोहागपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सोहागपुर में इस संबंध में रामनरेश

विश्वकर्मा, वन परिक्षेत्राधिकारी, पिता शिवप्रसाद विश्वकर्मा, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम फरहदा तहसील मऊगंज, थाना लौर, जिला मऊगंज, हाल निवासी गांधी चौक फरीस्ट कॉलोनी थाना कोतवाली जिला शहडोल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सोहागपुर में अपराध क्रमांक 58/26 अंतर्गत

धारा 132, 296(ए), 127(1), 324(3), 3(5), 190, 191(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 14 फरवरी 2026 को पुलिस ने आरोपियों राजू सिंह उर्फ राकेश सिंह पिता रविनाथ सिंह उम्र 50 वर्ष, चिन्टू सिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह

पिता रामजी सिंह बघेल उम्र 34 वर्ष एवं बेटन सिंह उर्फ बृजेश सिंह पिता रविनाथ सिंह उम्र 54 वर्ष, तीनों निवासी ग्राम बड़खेरा, थाना सोहागपुर, जिला शहडोल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय शहडोल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मामले में वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

अवैध सट्टा खिलाने वाले गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार

शहडोल | संवाददाता

राष्ट्रबाण | rashtabaan.in

जिले में अवैध जुआ-सट्टा गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना सोहागपुर पुलिस ने अवैध सट्टा खिलाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के पीछे दैनिक राष्ट्रबाण में प्रकाशित खबर का बड़ा असर रहा। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सोहागपुर गढ़ी क्षेत्र में राजेश सोनी उर्फ पप्पू पिता दानीराम सोनी अपने घर के सामने रुपये-पैसों की हार-जीत की बाजी लगवाकर अवैध सट्टा पर्वी लिख रहा है। सूचना की तत्पदी के बाद पुलिस टीम ने तत्काल दबिश दी। मौके पर आरोपी को सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

मौके से यह सामग्री जब्त

खबर का असर

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 17 नग सट्टा पर्वी, 2 नग कार्बन के टुकड़े, नगद 17 हजार आठ सौ दस रुपये, तीन डॉट पेन, 1 दप्ती, 1 कैलकुलेटर तथा 1 सैमसंग कंपनी का वालू मोबाइल फोन जब्त किया। पुछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथी विनीत द्विवेदी उर्फ लालन द्विवेदी निवासी सोहागपुर हाल पता जरवाही के साथ मिलकर सट्टा संचालन कर रहा था। मोबाइल के माध्यम से सट्टा पर्वियों का हिसाब-किताब प्रतिदिन भेजा जाता था। पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी हिरासत में लेकर पुछताछ की। दूसरे आरोपी विनीत द्विवेदी के कब्जे से एक रजिस्टर जिसमें सट्टा अंक दर्ज थे, एक कैलकुलेटर, दो डॉट पेन और एक वीवो कंपनी का मोबाइल जियो सिम सक्रिय जब्त किया गया। पुछताछ में उसने बताया कि वह इतवारी मोहल्लानिवासी एक अन्य व्यक्ति के साथ साझेदारी में यह अवैध कारोबार चला रहा था। आरोपियों के विरुद्ध पब्लिक गैबलिंग एक्ट एवं बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

सराहनीय भूमिका

थाना प्रभारी सोहागपुर निरीक्षक अरुण कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उपनिरीक्षक संतोष कोल, प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र रावत, प्रधान आरक्षक राजकुमार जायसवाल, आरक्षक त्रिलोक सिंह, आरक्षक विवेक झारिया एवं महिला आरक्षक मेनका धूमकेती की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बड़ी भीट तालाब में सार्वजनिक शौचालय एवं महिलाओं के लिए स्नानागार बनाने के लिए निर्देश सरफा डैम में छोटा पैदल पुल एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला को शीघ्र कराए प्रारंभ

शहडोल | संवाददाता

राष्ट्रबाण | rashtabaan.in

मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती आशा भंडारी ने नगर पालिका शहडोल अंतर्गत सरफा बांध एवं बड़ी भीट तालाब सहित नगर में प्रगतिरत विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने सरफा बांध स्थित नवीन जल शोधन संयंत्र में छोटा पैदल पुल निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने तथा जल परीक्षण प्रयोगशाला को यथाशीघ्र संचालित करने के साथ ही पंप गृह में खराब पड़ी जल मोटरों की मरम्मत काराकर नगरवासियों को स्वच्छ



पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने बड़ी भीट तालाब का निरीक्षण कर तालाब परिसर में

सार्वजनिक शौचालय निर्माण एवं महिलाओं के लिए पृथक स्नानागार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही तालाब में

प्रगतिरत निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु उपयंत्री को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपयंत्री श्री एस.एस.

तोमर, जल प्रदाय विभाग से श्री अनिल मिश्रा तथा नगर पालिका परिषद के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिले में संकल्प से समाधान अभियान के तहत प्राप्त हुए आवेदनों का किया गया निराकरण

शहडोल | संवाददाता

राष्ट्रबाण | rashtabaan.in

पात्र हितग्राहियों को भारत सरकार एवं राज्य शासन का हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं उन योजनाओं में जिनके लक्ष्य निर्धारित हैं, लक्ष्य अनुरूप लाभ एवं शासन द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा संकल्प से समाधान अभियान संचालित किया गया है। अभियान का प्रथम चरण में 12 जनवरी से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दल गठित कर जन सामान्य से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। सौईओ जिला

पंचायत शिवम प्रजापति ने बताया कि संकल्प से समाधान अभियान के तहत अभी तक जिले में 18868 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 17631 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है, निराकरण का प्रतिशत 93.44 है। जनपद पंचायत ब्यौहारी में 1512 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 1511 आवेदनों का निराकरण किया गया, जनपद पंचायत सोहागपुर में 2877 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 2739 आवेदनों का निराकरण किया गया। जनपद पंचायत गोहपारू में 1608 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 1158 आवेदनों का निराकरण किया गया। जनपद पंचायत बुढार में 1567 आवेदन

प्राप्त हुए जिनमें से 1562 आवेदनों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार नगरीय निकायों में नगरपालिका शहडोल में 2751 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 2458 आवेदनों का निराकरण किया गया। नगरपालिका धनपुरी में 2103 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 2052 आवेदनों का निराकरण किया गया। नगरपरिषद ब्यौहारी में 1163 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 1129 आवेदनों का निराकरण किया गया। नगरपरिषद बकहो में 928 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 928 आवेदनों का निराकरण किया गया। नगरपरिषद खांड में 197 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 178 आवेदनों का निराकरण किया गया।



प्रिंट रेट से अधिक पर थोक सप्लाई की चर्चा

सूत्रों की आने तो शहर के कुछ पान मसाला कारोबारी प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर थोक विक्रेताओं को माल उपलब्ध करा रहे हैं। जिसका प्रमाण हमारी टीम के पास उपलब्ध है लेकिन इस तरह का कारोबार करना कहीं न कहीं गैर कानूनी है, यदि यह तथ्य सही पाया जाता है तो यह उपभोक्ता अधिकारों और कर

नियमों दोनों का उल्लंघन हो सकता है। जानकारों की माने तो किरण टॉकीज, एफसीआई रोड में एक बड़ी प्रसिद्ध एजेसी, स्टेडियम रोड में स्थित एक एजेसी की जांच की जाए तो जल्द एक संगठित कर चोरी के कारोबार का पर्दाफाश हो सकता है। इसको लेकर संबंधित विभाग से जांच की मांग उठ रही है।

पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रतीक्षा

इन तमाम आरोपों और चर्चाओं के बीच सबसे अधिक प्रभावित आम उपभोक्ता हो रहा है। न तो उसे पारदर्शी बिल मिल पा रहा है और न ही स्पष्ट जवाब। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या निष्पक्ष जांच के जरिए सच्चाई सामने आती है।

कारोबार की आड़ में अवैध धन को वैध बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ बिलों को प्रमाण के

रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनमें जीएसटी का स्पष्ट उल्लेख न होने का दावा किया जा रहा है।

प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन पर पुलिस की कार्यवाही, अवैध रेत जप्त



शहडोल | संवाददाता

राष्ट्रबाण | rashtabaan.in

परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी हेतु रवाना पुलिस बल को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गोपालपुर सोन नदी क्षेत्र, जो सोन घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, से एक नीले रंग का स्क्वाज कंपनी का ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध रूप से रेत उत्खनन कर भरी हुई ट्रॉली के साथ बाहर निकल रहा है। सूचना पर देवलौंद पुलिस दल तत्काल गोपालपुर रेत उत्खनन घाट, सोन नदी पहुंचा। मौके पर पुलिस बल को देखकर ट्रैक्टर चालक विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर को तेज गति से भगाने का प्रयास किया, जिससे रेत से भरी ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। उक्त घटना के बाद थाने से अतिरिक्त बल को सूचित कर एवं स्थानीय निवासी के सहयोग से पलटी हुई ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीधा कराया गया,

जिसके बाद उक्त नीले रंग की बिना नंबर की ट्रॉली, जिसमें लगभग आधी ट्रॉली रेत भरी हुई थी, जप्त किया गया। उक्त ट्रॉली को अन्य ट्रैक्टर इंजन से तोचन कर थाना परिसर लाकर सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। प्रकरण में ट्रैक्टर चालक विनय मिश्रा एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, खनिज अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। देवलौंद पुलिस द्वारा फरार व्यक्ति की सतत तलाश जारी है। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी देवलौंद उ.नि. सुभाष दुबे के नेतृत्व में उप निरीक्षक हरिभान सिंह परस्ते, सहायक उप निरीक्षक इंदलाल पुरी, प्र.धान आर. रेयाज खान, प्रधान आरक्षक दिनेश शुक्ला, आर. सतीष मिश्रा, आरक्षक सौरभ मिश्रा, आरक्षक राजबिहारी पटेल एवं आरक्षक शिवेश त्रिपाठी की सराहनीय भूमिका रही।

